फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

पप्पू बनाम सुगन चन्द वगै

मुकदमा नम्बर :- / [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/7/25	ब.का. 31) बहस अंकित हेतु पुकार न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है आगामी पेशी पर बहस नहीं करने पर पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण कर दिया जावेगा। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र एवं अंतिम हेतु दिनांक 5/8/25 को पेश हो [illegible]	
	5/8/25	प०का० उप० बहस सुनी। पत्रावली एवं दस्तावेजात एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० पत्रावली किया। डिक्री जारी हो। पत्रावली कैफियत शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के कम हो दाखिल दफ्तर हो। [illegible] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं, जयपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय), चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी —:श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:—09/304/1999

उनवान

पप्पू उर्फ पप्पूलाल पुत्र बोदू, जाति नायक, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। —वादी—

बनाम

1. सुगनचन्द पुत्र छोटूराम (मृतक दौराने दावा)
   1/1. कमला देवी बेवा सुगनचन्द
   1/2. कजोडमल पुत्र सुगनचन्द
   1/3. कैलाश पुत्र सुगनचन्द
   1/4. आनन्द कुमार पुत्र सुगनचन्द
   समस्त जाति नायक, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
   1/5. बिमला देवी पत्नि ओमप्रकाश पुत्री स्व0 सुगलचन्द, जाति नायक, निवासी नन्दनगरी ब्लॉक सी दिल्ली।
   1/6. मंगली देवी पत्नि बीरसिंह पुत्री स्व0 सुगलचन्द, जाति नायक, निवासी तलाटगथ हरियाणा पोस्ट बसीरपुरा, जिला हनुमानगढ।
   1/7. रामादेवी पत्नि भंवर लाल पुत्री स्व0 सुगनचन्द, जाति नायक निवासी नन्दनगरी डी ब्लॉक दिल्ली।
   1/8. पुष्पा देवी पत्नि गिरधारी पुत्री स्व0 सुगनचन्द जाति नायक, निवासी खेतडी, तह0 खेतडी, जिला झून्झूनू।
2. श्यामलाल पुत्र सुगनचन्द (मृतक दौराने दावा)
   2/1. अन्नी देवी बेवा श्यामलाल
   2/2. विकाश
   2/3. सोनू
   2/4. रिना पुडी
   पुत्रान् स्व0 श्यामलाल नाबालिक जरिये संरक्षिका माता अन्नी देवी पत्नि श्यामलाल समस्त जाति नायक, निवासी ग्राम सिंघाना, तहसील सिंघाना, पुरानी तहसील के पीछे, नायकों का मोहल्ला, जिला झून्झूनू।
3. कजोडमल पुत्र सुगनचन्द
4. कैलाश पुत्र सुगनचन्द
5. आनन्दीलाल पुत्र सुगनचन्द
6. हणमान पुत्र सुगनचन्द
7. कमला देवी पत्नि सुगनचन्द
8. नोश्री पत्नि हणमान
9. कानाराम पुत्र बोदू (मृतक दौराने दावा)
10. सुवालाल पुत्र बोदू
11. रामगोपाल पुत्र बोदू
12. लालचन्द पुत्र बोदू
13. प्रकाश पुत्र बोदू

समस्त जाति नायक, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। —प्रतिवादीगण

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं,जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–04.08.2025

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में आराजी भूमि खसरा नम्बर 2620 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 2621 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 2622 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 2631 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 2632 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 2633 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 2634 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 2638 रकबा 0.27 हेक्टर कुम किता 8 का कुल रकबा 1.09 हेक्टर स्थित है। उक्त भूमि के बादी व प्रतिवादी सं० 9 ता 13 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व काबिज चले आ रहे है व उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादी सं० 9 ता 13 उक्त वर्णित आराजी भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है तथा उक्त भूमि में प्रत्येक प्रकार के फायदे उठाते आ रहे है। उक्त वर्णित आराजी से प्रतिवादीगण सं० 1 ता 8 का कोई लेना देना नहीं है, ना हो इनका कभी कोई सम्बन्ध रहा है, ना ही कब्जा है तथा वादी व प्रतिवादी सं० 9 ता 13 ही मालिक, खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण 1 ता 8 संख्या में अधिक है तथा वादी व प्रतिवादी सं० 9 ता 13 को हैरान व परेशान करने के लिए अपनी बदनियती पर उतारू हो रहे है तथा वादी व उसके सह खातेदारों को काश्त करने में दखलन्दाजी करने पर आमादा हो रहे है तथा प्रतिवादीगण 1 ता 8 को वादी व उसके सह खातेदारों को दखल करने व कब्जा कारत में बाधा डालने का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावै कि वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी बसरा नम्बर 2620, 2621, 2622,2 2631, 2632, 2633, 2634, 2638 कुल किता 8 का कुल रकबा 1.09 हेक्टर भूमि में न तो प्रवेश करे, ना ही वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 13 के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करे, ना हो काश्त करने में दखलन्दाजी करे, ना हौ काश्त करने में रुकावट करे, ना हो उक्त कार्यवाही स्वयं करे, ना ही अपने रेपेन्ट, सर्वेन्ट या कमैन से करवाये।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद कब्जे के अभाव में नहीं चल सकता। कब्जे के सम्बन्ध में स्वयं प्रतिवादी लालचन्द एवं

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रामगोपाल ने शपथ पत्र मन प्रतिवादी के हक में लिखकर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 लम्बे समय से काबिज रहकर काश्त कर रहा हैं। तथा पैदावार का निर्बाध रुप से उपयोग उपभोग कर रहा है। जिसको वादी व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 13 को जब से उन्होंने भूमियां हेरा–फेरी कर अपने नाम कराई तभी से ज्ञान है। जिस कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद नहीं चल सकता तथा काबिले खारिज है। वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में न आकर केवल मिथ्या अभिवचन पर वाद प्रस्तुत किया है जो तुरन्त निरस्तनीय है क्योंकि वादी से सभी वास्तविक तथ्यों को छिपाकर यह वाद प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण में जवाब पेश होने पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी विवादित भूमि वाके ग्राम कालाडेरा के खसरा नम्बर 2620, 2621, 2622, 2631 लगा0 2634, 2638 कुल किता 8 का काबिज खातेदार काश्तकार है जो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को वाद पत्र के मद संख्या 13–क के अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध कराने का अधिकारी है।

–जिम्मे वादी–

2. आया विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है एवं कब्जे के अभाव में वादी का वाद खारिज योग्य है।

–जिम्मे प्रतिवादी–

3. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वाद गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया है अतः दावा खारिज योग्य है।

–जिम्मे प्रतिवादी–

प्रतिवादीगण ने लिखित बहस पेश की तथा कथन किया कि "वादी ने एक दावा भूमि खसरा नं. 2620, 2621, 2622, 2631, 2632, 2633, 2634, 2638, कुल किता 8 का 1.09 हैक्टेयर वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं में स्थित होना तथा उक्त भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण सं. 9 ता 13 के नाम होने का उल्लेख करते हुए प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 संख्या में अधिक होने से वादी के कब्जेकाश्त में दखलअंदाजी करने के अभिवचन वर्णित करते हुए उक्त भूमि के बाबत वादी के हक में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा जिस वाद पत्र का जवाब मन प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 व 11, 12 की ओर से विस्तृत रूप से यह उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत किया कि खसरा नं. 2631, 2632, 2633, 2634 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर पर दावा दायरी से पूर्व ही मन प्रतिवादीगण का लम्बे समय से कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा वे उक्त भूमि पर दावा दायरी से पूर्व ही कब्ज उपयोग

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपभोग कर रहा है। इन भूमियो के पूर्व खातेदार कल्याण पुत्र बिंजा, रूडमल पुत्र बिंजा व ल्लू पुत्र मोह जिन्होंने प्रतिवादी के पिताजी के पार कोउका कब्जे के आधार पर अलग–अलग लिखावट लिखकर अपना हक व अधिकार त्याग दिया था तथा इन भूमियो के संबंध में प्रतिवादी अरसे दराज से काबिज काश्त होने के कारण प्रतिवादी उक्त भूमियों के खातेदार काश्तकार हो गये। उक्त 0.29 हैक्टेयर पर वादी पप्पू व प्रतिवादी कानाराम, सुवालाल, रामगोपाल, प्रकाश, लालचंद का न तो कब्जा पूर्व मे रहा. ना वर्तमान मे है जिस कारण बिना कब्जे के दावा चलने योग्य नहीं है। भूमि खसरा नं. 2631 से 2634 पर हम प्रतिवादीगण सुगनचंद के वारिस मय अपने परिवार के साथ काबिज काश्त रहकर अरसे दराज से काश्त कर रहे हैं तथा इन चारो खसरा नंबरो की सिंचाई भी अन्य खातेदारी के खसरा नंबर 2637 / 3739 में स्थित बोरिंग से कर रहे है तथा वर्तमान में गेहूं व सरसो की काश्त कर रखी है। वादी व प्रतिवादीगण सं. 9 ता 13 के नाम केवल नुमायशी खातेदारी अंकन है।" दौराने दावा प्रतिवादी सं. 1 सुगनचंद की मृत्यु होने से उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया, प्रकरण में जवाब दावे के विशेष विवरण के मद सं. 1 में प्रतिवादीगण सं. 10 ता 13 ने भी प्रतिवादी सं. 1 के कब्जे को स्वीकार किया जाकर शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं तथा उक्त जवाब दावे का कोई खण्डन वादीगण की ओर से नही किया गया है।

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजान का अवलोकन किया। वादी का वाद स्थाई निषाधाज्ञा का है। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 जमाबन्दी व प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस, लिखावट प्रदर्श ए–1, ए–2 आदि प्रस्तुत किये है जिनमें वादी एवं गवाह PW2 कैलाशचन्द ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 2631 लगा0 2634 की सींचाई कुआ खसरा नम्बर 2636 / 3739 से होती है तथा मै सन् 1985–86 से ही खसरा नम्बर 2631 ता 2634 पर प्रतिवादीगण सुगलचन्द का कब्जा काश्त देखते आ रहा हूँ तथा उनके मरने के बाद उनके वारिसों का कब्जा काश्त है। ऐसे में वादी का दावा दायरी के दिन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होना स्वीकार किया गया है। ऐसे में धारा 58 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जो तथ्य किसी न्यायिक कार्यवाही में किसी पक्षकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाते है तो उन्हे साबित करने की आकांक्षा उस न्यायालय को नहीं रखनी चाहिए, अपितू वह तथ्य साबित होना माना जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में 30 वर्ष से अधिक पुराने दस्तावेज प्रदर्श हुऐ है, जिस सम्बन्ध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार भी उक्त दस्तावेज पूर्णतः साबित है, जिनको न्यायालय के समक्ष परिक्षित हुये गवाहों ने स्पष्ट रुप से अपनी जिरह में स्वीकार किया हैं, दौराने बहस वादीगण की और से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा 2021(1) आरआरटी 260 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 सेक्शन

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

188 एवं 2013(1) आरआरटी 85 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 सेक्शन 188 तथा 183 एवं 2013(2) आरआरटी 1060 पैरा संख्या 17, 18, 19 में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 सेक्शन 188 एवं इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा 2016(2) आरआरटी 944 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 सेक्शन 188 आदि न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है जो प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है। जिससे उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद कब्जे के अभाव में तनकी नम्बर 1 वादी द्वारा साबित नहीं किये जाने से एवं तनकी नम्बर 2 व 3 प्रतिवादी के पक्ष में साबित होने से वादी का स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में वादी का वाद कब्जे के अभाव में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः वादी का वाद कब्जे के अभाव में खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0 / मुख्यालय)चौमूँ

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय), चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–09/304/1999

उनवान

पप्पू उर्फ पप्पूलाल पुत्र बोदू, जाति नायक, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. सुगनचन्द पुत्र छोटूराम (मृतक दौराने दावा)
   1/1. कमला देवी बेवा सुगनचन्द
   1/2. कजोडमल पुत्र सुगनचन्द
   1/3. कैलाश पुत्र सुगनचन्द
   1/4. आनन्द कुमार पुत्र सुगनचन्द
   समस्त जाति नायक, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
   1/5. बिमला देवी पत्नि ओमप्रकाश पुत्री स्व0 सुगलचन्द, जाति नायक, निवासी नन्दनगरी ब्लॉक सी दिल्ली।
   1/6. मंगली देवी पत्नि बीरसिंह पुत्री स्व0 सुगलचन्द, जाति नायक, निवासी तलाटगथ हरियाणा पोस्ट बसीरपुरा, जिला हनुमानगढ।
   1/7. रामादेवी पत्नि भंवर लाल पुत्री स्व0 सुगनचन्द, जाति नायक निवासी नन्दनगरी डी ब्लॉक दिल्ली।
   1/8. पुष्पा देवी पत्नि गिरधारी पुत्री स्व0 सुगनचन्द जाति नायक, निवासी खेतडी, तह0 खेतडी, जिला झून्झूनू।
2. श्यामलाल पुत्र सुगनचन्द (मृतक दौराने दावा)
   2/1. अन्नी देवी बेवा श्यामलाल
   2/2. विकाश
   2/3. सोनू
   2/4. रिना पुडी
   पुत्रान् स्व0 श्यामलाल नाबालिक जरिये संरक्षिका माता अन्नी देवी पत्नि श्यामलाल समस्त जाति नायक, निवासी ग्राम सिंघाना, तहसील सिंघाना, पुरानी तहसील के पीछे, नायकों का मोहल्ला, जिला झून्झूनू।
3. कजोडमल पुत्र सुगनचन्द
4. कैलाश पुत्र सुगनचन्द
5. आनन्दीलाल पुत्र सुगनचन्द
6. हणमान पुत्र सुगनचन्द
7. कमला देवी पत्नि सुगनचन्द
8. नोश्री पत्नि हणमान
9. कानाराम पुत्र बोदू (मृतक दौराने दावा)
10. सुवालाल पुत्र बोदू
11. रामगोपाल पुत्र बोदू
12. लालचन्द पुत्र बोदू

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

13. प्रकाश पुत्र बोदू
समस्त जाति नायक, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–09/304/1999

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद कब्जे के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाने योग्य है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 04.08.2025 को जारी किया गया।

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूं

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4......रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	2

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner